(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 50 / 2023

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद गहलोत उम्र 31वर्ष पुत्र श्री मदन लाल जाति माली निवासी मालियों के मंदिर के पास, अंता जिला बारॉ(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– गहलोत एजेन्सी, बमोरी रोड, डॉ पारस जैन के सामने, अंता जिला बारां (राज.)
2. मैसर्स– गहलोत एजेन्सी, बमोरी रोड, डॉ पारस जैन के सामने, अंता जिला बारां (राज.)
3. श्री दीपक पारीक (मालिक) मैसर्स– शरद मिल्क प्रोडक्ट, एफ–411–12 करनी नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर 334001 (राज.)
4. मैसर्स– शरद मिल्क प्रोडक्ट, एफ–411–12 करनी नगर इण्डस्ट्रियल एरिया, बीकानेर 334001 (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 19.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को मैसर्स गहलोत एजेन्सी, बमोरी रोड, डॉ पारस जैन के सामने, अंता जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री महावीर प्रसाद गहलोत पुत्र श्री मदन लाल माली(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.10.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** के गत्तों के कार्टनों में आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता के यहाँ पर खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का संदेह होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:17 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** आधा लीटर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री महावीर प्रसाद गहलोत पुत्र श्री मदन लाल माली(विक्रेता एवं मालिक) को 360 / – रूपये (अक्षरे तीन सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। नमूनीकरण के बाद शेष बचे हुए आधा लीटर के 18 नग एवं एक लीटर के 60 नग को अभिग्रहित कर खाद्यकारोबारकर्ता को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु सुपुर्द किया गया जिसका सीजर मीमो गवाहान के समक्ष तैयार किया जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** के चारों भागों पर अलग–अलग प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1595 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1595 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री महावीर प्रसाद गहलोत पुत्र श्री मदन लाल माली(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/398 दिनांक 23.11.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1479/PHL/kota/Act/2022/1482 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 26.06.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत न किया जाकर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा किसी मिथ्याछाप अथवा अवमानक पदार्थ का निर्माण नहीं किया जाता है एवं न हीं ऐसे किसी पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अपने जैसा अप्रार्थी क्रम 2 के माध्यम से मात्र खरीद–बेचान का कार्य किया जाता है तथा किसी भी पदार्थ के ब्राण्ड अथवा उसके स्टैण्डर्ड मानक पर आधारित होने की कोई जांच एजेंसी अप्रार्थी क्रम 1 के पास नहीं है। अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा उक्त [illegible]दित एवं मिसब्राण्ड बताया गया माल जरिए बिल दिनांक 08.10.2022 को अप्रार्थी क्रम 3 से उसकी फर्म अप्रार्थी क्रम 4 के माध्यम से खरीदा गया, जिसे उनके द्वारा उत्तम क्वालिटी एवं सभी मानकों पर टेस्टेड बताकर बेचान किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपूर्ण जांच कर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के नाम गलत नोटिस जारी किया गया है, फिर भी यदि ऐसा कोई अपराध बनता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उक्त पदार्थ के निर्माता एवं उत्पादनकर्ता की है। अप्रार्थी क्रम 3 व 4 की ओर से अभिभाषक द्वारा कहा गया कि जांच रिपोर्ट में छोटी–सी त्रुटि पाई गई है जिससे खाद्य पदार्थ सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं पैकिंग नियमों में बाद में संशोधन हुआ है जिसकी जानकारी नहीं थी। वर्तमान में नियमानुसार सुधार कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:17 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1479/PHL/kota/Act/2022/1482 दिनांक 11.11.2022 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1479/PHL/kota/Act/2022/1482 दिनांक 11.11.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** एवं धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 03 व 04 को कुल जुर्माना राशि 70,000/– रूपये (अक्षरे सत्तर हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। **प्रकरण में अभिग्रहित खाद्य पदार्थ उजाला लाइट किचन स्पेशल वनस्पति आधा लीटर मूल गत्ते पैक के कुल 18 नग एवं एक लीटर के 60 नग कुल 69 लीटर जो खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा हुआ है, उस अभिग्रहित माल का खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा नियमानुसार निस्तारण किया जावें।** अप्रार्थी क्रम 03 व 04 उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। प्रकरण मे अप्रार्थी क्रम 03 व 04 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि उनको रजिस्टर्ड डाक से पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक **19.01.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:26:17 IST
Reason: SelfAttested